संख्या-4/2018/आडिट-2-335(1)/दस-2018-355(5)/2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ : : दिनांकः 21 जून, 2018

विषय :- राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964 की धारा-26(फ) के प्राविधानों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के स्थान पर अब महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्था की लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं की जायेगी।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संस्था की नियमावली में लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्राविधानों में आप द्वारा यथावश्यक संशोधन कराया जाये तथा सम्बन्धित संस्था को यह भी निर्देशित किया जाये कि उनके द्वारा अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमित रूप से सम्पादित की जाये।

भवदीय

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2018/आडिट-2-335(2)/दस-2018-355(5)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।